

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

पार्थी/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

सावित्री

बनाम

मोहनलाल वगैरह

केरम प्रकरण : वादपत्र

मुकदमा नं. 291/2020

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
17.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण दिनांक 23.12.2020 से तलवी स्तर पर स्तर पर लम्बित चल रहा है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलवी हेतु वकील वादी/पार्थी को अनेक अवसर दिये गये है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वकील पार्थी/वादी को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलवी की जाने हेतु गत तारीख पेशी 07.10.2025 को प्रदत्त किया गया था तथा साविका आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने की हिदायत दी गई थी। परन्तु वकील वादी/पार्थी ने आदिनांक तक तलवी नहीं कराई है, ना ही स्वयं। उपस्थित आये है। अतः वकील वादी/पार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 05 के तहत अमद तकमील में खारिज किया जाता है।	

(दिव्या सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना-कुचामन)